

13/2022

जगदीश पं. लवा

3.6.24

पत्रावली प्राधीगण द्वारा वाद विद्रो करने तथा पत्रावली
 ललबी के प्र.पत्र पेश करने पर सिंगाह ये ललब हिसा
 पेश हुई। वादीगण को सुना गया। वादीगण द्वारा
 बुधन किया गया कि वे वाद में अब कोई कार्यवाही
 नहीं चाहते हैं तथा आपसी सहमति से राजीनामा
 कर लिया है। अतः वाद विद्रो करने की स्वीकृति
 प्रदान करें।

जगदीश

पत्रावली एवं प्राधीगण का अवलोकन
 किया गया। प्राधीगण वाद को चलाना नहीं चाहते
 हैं। अतः प्र.पत्र वाद विद्रो का स्वीकार किया
 जाता है। वादीगण द्वारा वाद विद्रो करने से
 कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती
 है तथा वादी का वाद विद्रो किया जाने से
 अरिज किया जाता है।

नि प्रवर्षी

मालवी

नि कमल

नि शान्द

निर्णय अंतर्गत सुनाया गया प्रमाण

अंशल शुमार होना नम्बर से कम हो।



(Handwritten signature)



अधिवक्ता अधिकारी
निर्णय, सदयपुर
DAS